राजस्व आवेदन संख्या :– 71/2023

वादी गण	प्रतिवादीगण
दौलाराम पुत्र शेराराम उम्र 60 वर्ष जाति जाट निवासी जोधेश्वर नगर तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर	1. डूंगराराम उर्फ दुर्गाराम पुत्र भगवानाराम उम्र 60 वर्ष जाति, जाट निवासी चिपड़ी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 2. तेजाराम पुत्र मोटाराम उम्र 55 वर्ष 3. डालूराम पुत्र मोटाराम उम्र 70 वर्ष 4. छोलाराम पुत्र मोटाराम उम्र 80 वर्ष 5. कुसुमलता पत्नि मूलाराम उम्र 50 वर्ष जातियान जाट निवासी जोधेश्वर नगर तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 6. बुधाराम पुत्र ईशराराम उम्र 50 वर्ष जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जोधेश्वर नगर तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 7. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सड 8. तहसीलदार सिणधरी

बनाम

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल वकील प्रार्थी उपस्थित।
2. प्रतिवादी सं. 8 के पैरोकार सरकार उप0। शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 19.12.2023

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी ने एक राजस्व वाद धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है जिसमें वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या वाद में प्रार्थी की सफलता [illegible] की पूर्ण सम्भावना है। कि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि मौजा जोधेश्वर [illegible] तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में खेत खसरा नम्बर 140/33 रकबा [illegible] आई हुई है। [illegible] भूमि में प्रार्थी की रहवासी ढाणीयां, पानी के टांके, मवेशियों के [illegible]डे व चारबाडे आ[illegible] हुए है। उक्त विवादग्रस्त भूमि प्रार्थी की एकल खातेदारी की भूमि है जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त लगातार एवं निर्बाध रूप से चला आ रहा है। प्रार्थी के खेत के चारों तरफ वक्त सेन्टलमेंट से कदीमी माठें स्थित है उस पर पेडे पौधे वर्षो पुराने लगे हुऐ है। खेत के सेटे (माठ) बहुत पुराने बने हुऐ है इसी के मध्य प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर कब्जा काश्त व रहवास करते आ रहे है। विपार्थीगण संख्या 1 से 6 व उसके परिवार वाले झगडालू प्रवृत्ति के व्यक्ति है तथा प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.14 11:08:55 IST
Reason: SelfAttested

139, 33, 150, 33, 33/1,33/2, 33/3, 33 की भूमि आई हुई है लगने वाले सेढ़े पर विप्रार्थीगण द्वारा बार-बार दखलंदाजी करने की अपने उक्त खसरा संख्या 140/33 रकबा 5.9947 हैक्टेयर के सीमाज्ञान है। विप्रार्थीगण को उक्त आवेदन का ज्ञात के कारण विप्रार्थीगण ज्यादा विप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 अब प्रार्थी के वादग्रस्त भूमि के सेढे को जबरदस्ती के पेड़ पौधे को काटकर को तोड़कर प्राथी के खातेदारी की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने की नियत से नया निर्माण करना चाहते है तथा इसी क्रम में विप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 प्रार्थी के सेढे को तोड कर प्रार्थी की भूमि में जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास करने लगे तब प्रार्थी मौके पर गये तो विप्रार्थीगण विवाद एवं प्रार्थी को धमकी देकर गये है कि वह मौका मिलते ही प्रार्थी की भूमि पर ओरडी का निर्माण करवा देगें तथा प्रार्थी को जबरन बेदखल कर देगे तथा प्रार्थी ने तो वह उसके उपर झूठा मुकदमा करवाकर जेल भिजवा देंगे जबकि प्रार्थी के खातेदारी मे प्रतिवादीगण को अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप करने एवं प्रार्थी को जबरन बेदखल करने प्रार्थी की भूमि अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने का विप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है विप्रार्थीगण अपने इस अविधिक कृत्य में सफल हो जाते हैं तो प्रार्थी को अकारण खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि से वंचित होना पड़ेगा जिससे प्रार्थी के विधिक अधिकारों के साथ भारी कुठाराघात होगा जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति प्रार्थी के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध आशय का अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें कि प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा जोधेश्वर नगर पटवार क्षेत्र सड़ा तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में खेत खसरा नम्बर 140/33 रकबा 5.9947 हेक्टेयर में विप्रार्थीगण, उसके परिवार के सदस्य व अन्य किसी के द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप, परिवर्तन एवं बाधा कारित न तो स्वयं करें तथा न ही से करावें तथा प्रार्थी के पक्ष में किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं करें तथा न ही प्रार्थी के खेत के सेढा माठ तोडने का प्रयास करें। मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमनें प्रार्थी की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। कि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि मौजा जोधेश्वर नगर पटवार क्षेत्र सड़ा तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में खेत खसरा नम्बर 140/33 रकबा 5. 9947 हेक्टेयर की आई हुई है। प्रार्थी के खेत के चारों तरफ वक्त सेन्टलमेंट से कदीमी माठें स्थित है उस पर पेडे पौधे वर्षो पुराने लगे हुऐ है। खेत के सेटे (माठ) बहुत पुराने बने हुऐ है इसी के मध्य प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर कब्जा काश्त व रहवास करते आ रहे है। विप्रार्थीगण सख्या 1 से 6 व उसके परिवार वाले झगडालू प्रवृत्ति के व्यक्ति है तथा प्रार्थी की भूमि के सेढो पर विप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 332 ग्राम चिपड़ी तथा खसरा संख्या 139/33, 150/33, 33/1,33/2, 33/3, 33 की भूमि आई हुई है जिससे प्रार्थी की तरफ लगने वाले सेढे पर विप्रार्थीगण द्वारा बार-बार दखलंदाजी करने की स्थिति में प्रार्थी द्वारा अपने उक्त खसरा संख्या 140/33 रकबा 5.9947 हैक्टेयर के सीमाज्ञान आवेदन विचाराधीन है। विप्रार्थीगण को उक्त आवेदन का ज्ञात के कारण विप्रार्थीगण ज्यादा उग्र हो गये है विप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 अब प्रार्थी के वादग्रस्त भूमि के सेढे को जबरन तोडकर एवं माठ के पेड़ पौधे को काटकर को तोड़कर प्रार्थी के खातेदारी जबरदस्ती अवैध रूप से कब्जा करने की नियत से नया निर्माण करना

का अभिकथन है कि प्रार्थी द्वारा अपने उक्त खसरा संख्या 140/33 रकबा 5.9947 हेक्टेयर के सीमाज्ञान आवेदन विचाराधीन है। विप्रार्थीगण को उक्त आवेदन का ज्ञात के कारण विप्रार्थीगण ज्यादा उम्र हो गये है विप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 अब प्रार्थी के वादग्रस्त भूमि के सेढे को जबरदस्ती तोडकर एवं माठ के पेड पौधे को काटकर को तोडकर प्रार्थी के खातेदारी की भूमि पर जबरदस्ती अवैध रूप से कब्जा करने की नियत से नया निर्माण करना चाहते है, जिसके लिए प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन की तिथि 17.05.2023 से आदिनांक तक उसकी खातेदारी के खेत के सीमांकन की वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट अथवा उसके अद्यतन की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में प्रथम दृष्टया न्यायालय को इस बात की संतुष्टि है कि यदि पक्षकारान के मध्य सेढा अथवा कब्जा काश्त को लेकर आपसी तकाजा आज भी विद्यमान होता, तो उसके तथ्यों की रिपोर्ट 7 माह के लम्बी अवधि व्यतीत होने के उपरांत प्रस्तुतीकरण में देरी नहीं की जाती। इससे यह जाहिर है कि प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर वाद के निस्तारण की कार्यवाही स्थगन के जरिये लम्बी करना चाहते है। जहां तक पक्षकारान के मध्य खातेदारी के खेतो के सेढे एवं माठों के विद्यमान होने से उसे बेदखल करने का प्रश्न है, उसके निस्तारण की कार्यवाही मूल वाद में जरिये साक्ष्य/सबूतों के आधार पर तय करते हुए निराकरण किया जा सकता है? ऐसी स्थिति में प्रथम द्वष्टया प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 19.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.14 11:08:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी